यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तरखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **कार्यालय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी** के माह 08/2008 से 01/2017 तक के लेखा अभिलोखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20.02.2017 से 23.02.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री भीमसेन सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23/08/2008 से 26/08/2008 तक सम्पादित की गई थी, जिसमें वर्ष 12/2001 से 07/2008 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2008 से 01/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** महाविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न कार्य जैसे प्रवेश कार्य, शिक्षण, शिक्षणेत्तर गतिविधियां, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि कार्य होते है। महाविद्यालय के अन्तर्गत की योजना संचालित नहीं है। महाविद्यालय पूर्ण रूप से पर्वतीय क्षेत्र में आता है जिसमें अध्ययन हेतु किसी भी क्षेत्र से आ सकते हैं।
2. **(अ)** विगत नौ वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत* (-)	आधिक्य (+)	बचत * (-)
2008-09	-	-	11.00	5.91	10.25	6.54	-	5.09	-	3.71
2009-10	-	-	84.25	84.06	61.75	55.74	-	0.19	-	6.01
2010-11	-	-	153.59	152.77	82.18	81.23	-	0.92	-	0.95
2011-12	-	-	155.22	154.89	76.88	76.06	-	0.33	-	0.82
2012-13	-	-	209.76	199.78	98.53	97.55	-	9.98	-	0.98
2013-14	-	-	240.61	240.22	96.94	91.84	-	0.39	-	5.10
2014-15	-	-	342.89	333.91	116.70	111.35	-	8.98	-	5.35
2015-16	-	-	351.73	326.47	123.85	113.98	-	25.26	-	9.87
2016-17 (01/2017 तक)	-	-	307.94	302.47	135.06	117.46	-	5.49	-	17.60

- बचत की धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पण की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण विम्नवत् हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15		-	-	-	-	-
2015-16		महाविद्यालय के अन्तर्गत कोई योजना संचालित नहीं है।				
2016-17 (01/2017 तक)		-	-	-	-	-

3. इकाई को बजट आबंटन राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्रापत् होता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः-

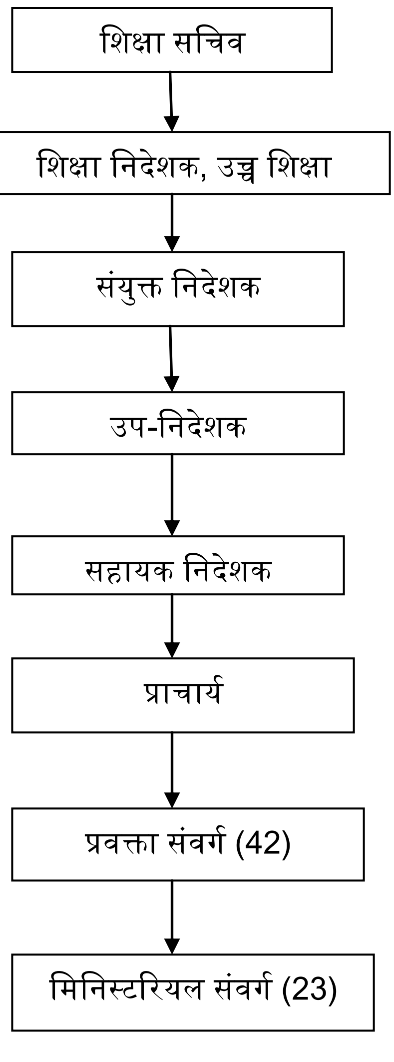

4. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2012, 07/2013, 05/2014, 03/2015, 03/2016 एवं 10-2016 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।
5. लेखापरीक्षा भारत के संबिधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-1 उपकरण क्रय में ₹ 4.00 लाख का अनियमित व्यय।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम संख्या-146 एवं उत्तराखण्ड प्रोक्यूर्मेन्ट नियमावली 2008 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार प्रत्येक स्तर पर ₹ 15,000 से अधिक तथा ₹ 1,00,000 तक लागत की सीमा के क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जाना चाहिए।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी के क्रय से सम्बन्धित लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि निदेशालय के पत्रांक डिग्री बजट/16888-16968/2014-15 दिनांक 4 मार्च 2015 द् द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को प्रतियोगात्मक परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण दिए जाने के लिए विभिन्न मानको मदों में ₹ 6,79,600.00 आबंटित किए गये। उक्त आबंटित धनराशि में ₹ 4.00 लाख की धनराशि मशीनें एवं सज्जा उपकरण हेतु स्वीकृत हुए थे। स्वीकृत आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि मशीन साज-सज्जा उपकरण का क्रय प्रोक्योरमेंट नियमावली 2008 एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।

जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा ₹ 4.00 लाख के उपकरणों का क्रय बिना निविदा आमंत्रित किए कोटेशन के आधार पर किया गया। आबंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण विम्नवत् हैः-

मद	आबंटित राशि	व्यय राशि
मानदेय	99,600.00	99,600.00
ब्यावसायिक एवं विशेष सेवाऐं	50,000.00	20,087.00
मशीनें एवं सज्जा उपकरण	4,00,000.00	4,00,000.00
अन्य व्यय	1,30,000.00	1,30,000.00

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्राचार्य ने अपने उत्तर में बताया कि निदेशालय द्वारा बजट मार्च 2015 को फैक्स के माध्यम से प्राप्त हुआ। समयाभाव के कारण टेण्डर प्रक्रिय किया जाना सम्भव नहीं था। टेण्डर प्रक्रिया सम्भव न होने के कारण कोटेशन के आदार पर क्रय किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम संख्या-146 एवं उत्तराखण्ड प्रोक्यूर्मेन्ट नियमावली 2008 के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए था।

अतः पकरण क्रय में ₹ 4 लाख का अनिमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर-2 छात्र निधि के अन्तर्गत ₹ 1.28 लाख का अनियमित व्यय।

नियमानुसार छात्र-छात्राओं से क्रीडा के नाम से लिया जाने वाला क्रीडा शुल्क अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के खेलकूद गतिविधियों में ही व्यय किया जाना चाहिए। महाविद्यालयों हेतु निर्देशों के अनुसार छात्र कोष से विकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नहीं लिया जाएगा और यह राशि उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लिए वसूल की गई है।

कार्यालय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी के क्रीडा शुल्क से सम्बन्धित रोकड बही पंजिका, बैंक पासबुक एवं अन्य लेखा-अभिलोखों की जांच में पाया गया कि अध्ययनरत छात्र-छात्रों से वर्ष 2008-09 से 2016-17 (01/2017 तक) क्रीडा शुल्क के रूप में ₹ 36,03,336.00 ब्याज सहित प्राप्त हुए एवं ₹ 28,60,056,00 विभिन्न गतिविधियों में व्यय किए गये। क्रीडा शुल्क में किए गये कुल व्यय ₹ 28,60,056,00 में से महाविद्यालय द्वारा छात्र-छात्राओं को खेलकूद गतिविधियों में मात्र ₹ 27,32,071,00 व्यय किए गये एवं अवशेष ₹ 1,27,985,00 विभिन्न अन्य मदों (मानदेयः ₹ 98,525,00, समारोहः ₹ 3,460,00 एवं अन्य व्यय ₹ 26,000,00) के अन्तर्गत व्यय किया गया, जो कि दिशा-निर्दोशों के विपरीत था। नियमानुसार छात्र-छात्राओं से क्रीडा के नाम से लिया जाने वाला क्रीडा शुल्क अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के खेलकूद गतिविधियों में ही व्यय किया जाना चाहिए। वर्षवार प्राप्त शुल्क एवं उसके विपरीत क्रीडा, दैनिक मजदूरी/मानदेय, समारोह, पुस्तकों एवं अन्य मदों पर किए गये व्यय का विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त राशि	व्यय राशि	विभिन्न मदें				
				क्रोडा	मानदेय	समारोह	पुस्तक	अन्य
2008-09	141975.00	213886.00	187131.00	187131.00	-	-	-	-
2009-10	168730.00	363983.00	169709.00	169709.00	-	-	-	-
2010-11	363004.00	317596.00	217121.00	216021.00	-	1100.00	-	-
2011-12	463479.00	818954.00	618602.00	601702.00	16900.0	-	-	-
2012-13	663831.00	326620.00	388823.00	367523.00	20400.00	900.00	-	-
2013-14	601628.00	545248.00	279897.00	246987.00	31050.00	860.00	-	1000.00

2014-15	866979.00	344918.00	290571.00	237596.00	27375.00	600.00	-	25000.00
2015-16	921326.00	346325.00	548081.00	548081.00	-	-	-	-
2016-17	719570.00	325836.00	160121.00	157321.00	2800.00	-	-	-
योग		**3603366.00**	**2860056.00**	**2732071.00**	**98525.00**	**3460.00**	**-**	**26000.00**

इस प्रकार, ₹ 1,27,985.00 में महाविद्यालय द्वारा चौकीदार/सफाईकर्मी को मानदेय, स्वतंत्रता/गणतंत्र दिवस/ गांधी जयंती समारोह में मिष्ठान वितरण एवं महाविद्यालय के पेनल निरीक्षण पर किया गया, जिन्हें महाविद्यालय के आयोजनेत्तर मद से किया जाना चाहिए था, जबकि महाविद्यालय द्वारा इसके विपरीत समस्त व्यय क्रीडा शुल्क मद से किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्राचार्य ने अपने उत्तर में बताया कि मानदेय आदि के भुगतान क्रीडा कार्यों के लिए ही किया गया है। महाविद्यालय में प्रशिक्षक एवं अनुसेवक का पद क्रीडा विभाग में नहीं है अतः कार्य संचालन हेतु मानदेय पर रखा गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि महाविद्यालय द्वारा जो व्यय किया गया है वह चौकीदारी, सफाईकर्मी तथा महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु आए पेनल निरीक्षण हेतु किया गया है न कि क्रीडा के प्रशिक्षण एवं अनुसेवक हेतु किया गया।

अतः छात्र निधि के अन्तर्गत ₹ 1.28 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-तीन</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों क् अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या**	**भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या**
84/2008-09	1	1

विगत निरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग-दो (अ) प्रस्तर-1	महाविद्यालय द्वारा वर्तमान अध्यतन अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गई बल्कि सितम्बर 2008 में महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित आख्या की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।	वर्तमान अध्यतन अनुपालन आख्या के अबाव में लम्बित प्रस्तर यथावत् रहेगा।	
	भाग-दो (ब) प्रस्तर-1	--तदैव--	वर्तमान अध्यतन अनुपालन आक्या के अबाव में लम्बित प्रस्तर यथावत् रहेगा।	

<u>भाग-चार</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--शून्य –

<u>भाग-पाँच</u>

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अबिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अदिकारी, टिहरी गढवाल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आबार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिकित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः-

(i) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या।

2. सतत् अनियमितताऐः

(i) – शून्य—

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्र0सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	डा0 एम0सी0 त्रिवेदी	प्राचार्य	08/09/2003 से 13/08/2009
2	डा0 अशोक कुमार	प्राचार्य	13/08/2009 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हे नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अदिकारी, टिहरी गढवाल को इस आशय से प्रेषिक कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सा.क्षे.)